रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 28—फरवरी 3, 2018, शनिवार/माघ 8—माघ 14, 1939

No. 5] NEW DELHI, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2018, SATURDAY/MAGHA 8—MAGHA 14, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 44—सा.का.नि.144 दिनांक 19 अप्रैल, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र (साधारण) के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के तकनीकी लिपिक (आर्थिक) भर्ती नियम 2017, के हिंदी अनुवाद में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूची के स्तम्भ (12) की प्रविष्टियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से निम्नवत पढ़ा जाये :-

स्तम्भ	के स्थान पर	यह पढ़ा जाये
12	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में सम्मिलित होंगे:-** 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में सम्मिलित होंगे:-** 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय

2. राजपत्र अधिसूचना के अन्य मद पूर्ववत ही रहेंगे।
3. इन्हें संयुक्त सचिव (आर्थिक प्रशासन अनुभाग) के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

[मि. सं. ए-12018/2/2016-ईए]

वी. सुरेन्द्र, अवर सचिव

	Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchetra Kriplani Hospital, New Delhi - Member (3) Nursing Adviser, Ministry of Health and Family Welfare – Member (4) Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchetra Kriplani Hospital, New Delhi – Member	

[F. No. A. 11018/03/2013-MH III/Part II/C]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Assistant Director General (Nursing)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया,नई दिल्ली में परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय, डॉ. राममनोहरलोहियाअस्पताल, नई दिल्ली (परिचर्या अधिकारी) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति.,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिचर्या अधिकारी	840* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 7 (44900-142400 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण:**रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अर्भ्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पश्च आधारिक बीएससी नर्सिंग; और (ii) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स, या नर्स और मिडवाईफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग और मिडवाईफरी में डिप्लोमा; (ii) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स, या नर्स और मिडवाईफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; और (iii) ऊपर (ख) (i) पर उल्लखित शैक्षिक अर्हता अर्जन के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं।कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2 :** अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिये जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित